

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0-01/स्था0 (न0आ0)-03/2018 3845 /न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक-23-2-19

विभागीय आदेश सं0-1510 दिनांक-08.03.19 द्वारा श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0 (2014), तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर के विरुद्ध आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जांच हेतु विभागीय पदाधिकारियों की निम्नवत् एक समिति गठित की गई थी :-

- (i) श्री संजय कुमार, विशेष सचिव - अध्यक्ष
(ii) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, बुडको - सदस्य

2. श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, बुडको के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री ओम प्रकाश सिंह, मुख्य अभियंता, बुडको को उक्त समिति में शामिल किया जाता है।


3. विभागीय आदेश सं0-1510 दिनांक-08.03.19 का शेष यथावत् रहेगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (न0आ0)-03/2018 3845 /न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक-23-2-19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री संजय कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री ओम प्रकाश सिंह, मुख्य अभियंता, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।